

एससी-एसटी और ओबीसी के लिये 77 फीसदी आरक्षण तथा स्थायी नवासी के लिये 1932 के खतयान (भूमरिकॉर्ड) को आधार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

14 सितंबर, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार की नौकरियों में एससी, एसटी, पछिड़ा वर्ग, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिये 77 प्रतिशत आरक्षण देने तथा 'स्थानीयता की नीति 1932 के खतयान के आधार पर तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बंदि

- मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंत्रिमंडल ने एससी, एसटी, पछिड़ा वर्ग, अन्य पछिड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 77 प्रतिशत आरक्षण हेतु राज्य की सरकारी सेवाओं में रकितियों के आरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन के लिये आरक्षण वधियक को मंजूरी दे दी है।
- मंत्रिमंडल ने 'स्थानीयता' की नीति 1932 के खतयान के आधार पर तय करने और पछिड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने समेत वभिन्न वर्गों के लिये कुल 77 प्रतिशत सरकारी नौकरियों आरक्षण करने हेतु अलग-अलग वधियक राज्य वधानसभा में पेश किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
- मंत्रिमंडल ने दोनों वधियकों को वधानसभा से पारित कराने और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार के पास भेजने का भी नरिणय लिया।
- डाडेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से यह अनुरोध करने का नरिणय लिया कि वह इन दोनों कानूनों को संवधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करें, जिससे इन्हें देश की किसी अदालत में चुनौती न दी जा सके।
- 'स्थानीयता' की नीति में संशोधन के लिये लाए जाने वाले नए वधियक का नाम 'झारखंड के स्थानीय नवासी की परभाषा एवं पहचान हेतु झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परभाषा एवं परणामी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक वस्तित करने के लिये वधियक 2022' होगा।
- वंदना डाडेल ने बताया कि इस वधियक के माध्यम से राज्य में स्थानीय लोगों को परभाषित किया जायेगा और मंत्रिमंडलीय फैसले के अनुसार अब राज्य में 1932 के खतयान में जिसका अथवा जिसके पूर्वजों का नाम दर्ज होगा, उन्हें ही यहाँ का स्थानीय नवासी माना जाएगा। जनिके पास अपनी भूमिया संपत्ति नहीं होगी, उन्हें 1932 से पहले का राज्य का नवासी होने का प्रमाण अपनी ग्रामसभा से प्राप्त करना होगा।
- प्रस्तावित नौकरी आरक्षण नीति में, अनुसूचित जातियों के लिये राज्य की नौकरियों में आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत तथा अन्य पछिड़ा वर्ग के लिये 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की व्यवस्था होगी। पछिड़े वर्गों में अत्यंत पछिड़ों के लिये 15 प्रतिशत और पछिड़ों के लिये 12 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किये जाने का नरिणय लिया गया है।
- सरकार के फैसले पर अमल होने के साथ राज्य में ओबीसी, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) का कुल आरक्षण 77 प्रतिशत हो जाएगा।
- मंत्रिमंडल ने इस प्रस्तावित वधियक के माध्यम से राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिये भी दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने का फैसला लिया है।